

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 189

No. 171]

DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

[N.C.T.D. No. 189

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

सं. फा. 40(20)/90/आईईडीसी/306/373.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम (आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना सं. फा. 26(49)/59/आर व एस का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "विशेष शिक्षा अध्यापक" के पद की भर्ती की पद्धति एवं योग्यताओं के संबंध में इसके द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(क) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय विशेष शिक्षा अध्यापक (क) शारीरिक रूप से विकलांग, (ख) चाणी बाधता, (ग) मानसिक रूप से मंदबुद्धि, (घ) अशतः दृष्टिहीन ('ख' वर्ग) की भर्ती नियमावली, 2010 कहा जा सकेगा।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, वर्गीकरण इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **योग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है, और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
विशेष शिक्षा अध्यापक (क) शारीरिक रूप से विकलांग, (ख) वाणी बाधयता, (ग) मानसिक रूप से मंदबुद्धि, व (घ) अंशतः दुष्टहीन।	933*(2010) (नौ सी तैतिस)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", (पे बैंड-2) *इसमें *आरक्षणपत्रित, अल्पिकीय	9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 रुपये	लागू नहीं	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है
--	--	-------------------------------	--	--

8	9	10	11	12
अनिवार्य :	लागू नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं
बी. एड. (विशेष शिक्षा) सहित स्नातक या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा सहित बी. एड. अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा	अथवा			
भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता				

8

टिप्पण : एकल अपंगता/निःशक्तता क्षेत्र में योग्यता वाला अध्यापक को अन्य अपंगता क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ऐसा किसी सामान्य विद्यालय की नाना प्रकार की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मॉडलर पाठ्यक्रमों को करवा कर किया जाएगा ।

टिप्पण : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर शिथिलनीय है ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है

13

14

“ख” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं ।

- | | |
|--|----------|
| 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक शिक्षा | —सदस्य |
| 3. अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (शिक्षा) | —सदस्य |
| 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी, जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव की रैंक से कम न हो | —सदस्य |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2010

F. DE 40(20)/09/IEDC/306/373.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (I), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 26(49)/59-R & S, dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Education Teacher in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Directorate of Education, Special Education Teacher for (a) Physically Handicapped, (b) Speech Impaired, (c) Mentally Retarded, and (d) Partially Sighted Group 'B' Post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of Services Admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Special Education Teacher for : A. Physically Handicapped, B. Speech Impaired, C. Mentally Retarded, and D. Partially Sighted.	933*2010 (Nine Hundred Thirty Three) *Subject to variation dependent on workload.	CCS Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34,800 (PB-2) Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	No
Age-limit	Educational & other Qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	
7	8	9	10	11	
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government	Essential : Graduate with B.Ed. (Special	N.A.	2 years	100% Direct recruitment.	
Servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by Central Government of India from time to time.)	Education) or B. Ed. with a two years diploma in special education or post-graduate professional diploma in special education.				
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Aru-	OR Any other equivalent qualification approved by rehabilitation council of India. Note : Teacher with qualification in single disability area will be encouraged to				

8

nachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladkhakh Division of J & K State, Lahul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh & Andaman and Nicobar Island) and Lakshadweep).

specialise in other disability areas by undergoing modular courses to take care of wide range of diversities in a General School.

Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
N.A.	Group 'B' DPC (for considering confirmation) : 1. Principal Secretary/Secretary (Education) —Chairman 2. Director of Education —Member 3. Additional Director/Additional Secretary/Joint Secretary (Education) —Member 4. An officer of SC/ST Community not below the rank of Deputy Secretary in Government of NCT of Delhi —Member	Consultation with UPSC not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.

4312 D9/fo-2